भारतीय प्रेस परिषद
नई दिल्ली

प्रेस परिषद समीक्षा

(1 अप्रैल 2024 – 30 जून 2024)

त्रैमासिक पत्रिका

वर्ष 26   जुलाई, 2024   अंक 3

भारतीय प्रेस परिषद के संबंध में

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण एवं प्रेस के स्तरों को बनाये रखने और उनमें सुधार करने के दोहरे उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद का पहली बार गठन किया गया। परिषद एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, जो प्रेस की एवं प्रेस के लिए एक निगरानीकर्ता का कार्य करती है। यह क्रमश: प्रेस की स्वतंत्रता अथवा नीति के उल्लंघन पर प्रेस द्वारा और प्रेस के विरूद्ध शिकायतों पर निर्णय देती है।

प्रेस परिषद के अध्यक्ष परिपाटी के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। परिषद में 28 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, पांच संसद के दोनों सदनों में से होते हैं और तीनों सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं विज्ञान, विधि एवं साहित्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा जिनमें से क्रमश: एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, एक भारतीय विधिज्ञ परिषद और एक साहित्य अकादमी द्वारा नामित किया जाता हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवावधि तीन वर्ष की होती है।

शिकायत दर्ज करने हेतु प्रक्रिया

प्रेस के विरूद्ध शिकायत

कोई भी व्यक्ति, किसी समाचारपत्र/समाचार एजेंसी के विरूद्ध पत्रकारिता आचरण और रूचि के मान्य नैतिक सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए प्रेस परिषद में शिकायत दर्ज कर सकता है। आम जनता में से कोई भी व्यक्ति, संपादक, श्रमजीवी पत्रकार, समाचारपत्रों के कर्मचारी अथवा स्वतंत्र पत्रकार के व्यावसायिक कदाचार के विरूद्ध भी शिकायत कर सकता है।

प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम 1979 के अनुसार, निम्नलिखित अवधि के भीतर परिषद के सम्मुख शिकायत दर्ज की जाएगी :

(i) दैनिक समाचारपत्र, समाचार एजेंसियां और साप्ताहिक समाचारपत्र दो माह के भीतर

(ii) अन्य मामलों में चार माह के भीतर
बशर्ते पूर्व तिथि के संबद्ध प्रकाशन का शिकायत में हवाला दिया जाये।

सबसे पहले संपादक को लिखें

शिकायतकर्ता, जिस समाचार को जनता की रूचि के विरूद्ध अपराध अथवा पत्रकारिता नीति का उल्लंघन समझते हैं, उसकी ओर समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका के संपादक का ध्यानाकृष्ट करते हुए जांच विनियमों के अंतर्गत सबसे पहले उन्हें लिखना ज़रूरी है। ऐसे पूर्व संदर्भ से संपादक

को पहली बार में मामले से निबटने का मौका दिया जाता है और इस प्रकार, परिषद को शिकायत भेजे जाने से पहले प्रतिवादी को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उचित अवसर भी दिया जाता है। यह विचार करने की बात है कि कुछ मामलों में शिकायतकर्ता को गलत सूचना मिली हो या तथ्यों का गलत अर्थ निकाला गया हो। दूसरी तरफ यह अनजाने में हुई गलती का भी मामला हो सकता है जिसे संपादक स्वीकार करने और संशोधित करने के लिए तैयार हो। शिकायतकर्ता के संतुष्ट होने पर मामला खत्म हो जाएगा।

जहां समाचारपत्र/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं का ध्यानाकृष्ट करने के पश्चात्, कोई व्यक्ति शिकायत को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है, तो उसे संपादक के साथ हुए पत्र व्यवहार की प्रतियां भी शिकायत के साथ संलग्न करनी चाहिए। यदि संपादक की ओर से कोई उत्तर प्राप्त न हुआ हो, तो शिकायत में इसका उल्लेख करना चाहिए।

शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत में उन समाचारपत्रों/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं के संपादक अथवा पत्रकार का नाम तथा पता लिखना चाहिए जिसके विरूद्ध शिकायत की गई हो। वह मामला अथवा समाचार जिनकी शिकायत की गई हो, की मूल कतरन अथवा स्व-अनुप्रमाणित प्रति (अंग्रेज़ी अनुवाद, यदि समाचार देशी भाषा में है) शिकायत के साथ भेजी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता को लिखना चाहिए कि समाचार या पैराग्राफ या वह सामग्री जिसकी शिकायत की गई है, किस प्रकार आपत्तिजनक है। उनके पास यदि इस विषय में कोई अन्य विवरण हो, तो उसे भी भेजना चाहिए। किसी सामग्री को प्रकाशित न किए जाने की शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता को यह बताना होगा कि इससे किस प्रकार पत्रकारिता नीति का उल्लंघन हुआ है।

परिषद किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में विचारधीन हो। शिकायतकर्ता को घोषणा करनी होगी कि "अपनी संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, उन्होंने परिषद के सामने सभी संबद्ध तथ्य रख दिए हैं तथा शिकायत में कथित किसी मामले के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।" एक अन्य घोषणा करना भी ज़रूरी है कि - "परिषद द्वारा जांच के दौरान यदि शिकायत में कथित मामला न्यायालय की कार्यवाही का विषय बन जाता है, तो वे इसकी सूचना तुरंत परिषद को देंगे।"

प्रेस की स्वतंत्रता के दमन संबंधी शिकायतें

समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका, पत्रकार या कोई भी संस्थान या व्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में दखल देने, प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने अथवा अतिक्रमण के लिए केंद्र या राज्य सरकार या किसी संगठन या व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत कर सकता है। ऐसी शिकायतों में कथित

उल्लंघन का पूरा विवरण होना चाहिए, जिसके बाद परिषद द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में दी गई निर्धारित जांच प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। ऐसी शिकायतों में कथित उल्लंघन का पूरा विवरण होना चाहिए, जिसके बाद परिषद उक्त प्रक्रिया का पालन करेगी, जिसके बाद परिषद जहाँ तक संभव हो, ऊपर दी गई जांच प्रक्रिया का पालन करेगी।

परिषद द्वारा व्यक्त किए गए विचार दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं (i) यह नहीं हो सकता कि प्रेस की स्वतंत्रता के दुरूपयोग पर कोई ध्यान न दे अथवा उस पर कोई उंगली न उठे अथवा उसका विरोध न करे और (ii) प्रेस को स्वयं अपने हित में अश्लील अथवा अन्य आपत्तिजनक लेखन नहीं करने चाहिए जैसे प्रेस में से ही गठित निष्पक्ष निर्णायक परिषद द्वारा पत्रकारिता नीति के मान्य मानकों के अनुरूप नहीं समझे जाते है क्योंकि इससे प्रेस की अत्यधिक बहुमूल्य स्वतंत्रता में ही कमी होगी।

अपनी शिकायतें अथवा पूछताछ निम्नलिखित पते पर करें :-

सचिव,
भारतीय प्रेस परिषद,
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

फोन : 011-24366404/05 (एक्स. 307 और 315)
फैक्स : 24368725
ई-मेल : secy-pci@nic.in, so.complaints-pci@gov.in, so.meetings-pci@gov.in
वेबसाइट : www.presscouncil.nic.in

भारतीय प्रेस परिषद

सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अध्यक्ष: न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई

14वीं सेवावधि

सदस्य	**संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया**	**समाचारपत्र**
भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के संपादक (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (क))		
श्री अंकुर दुआ	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, मुज्जफरनगर बुलेटिन, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
डॉ बलदेव राज गुप्ता	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	समूह संपादक, एक्सप्रेस न्यूज, हिंदी दैनिक, मध्य प्रदेश
डॉ. खैदेम अथौबा मीतेई	एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन	निवासी संपादक, ह्यूयेन लानपाओ, मणिपुरी दैनिक, मणिपुर
श्री प्रकाश दुबे	एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन	समूह संपादक, दैनिक भास्कर, हिंदी दैनिक, महाराष्ट्र
डॉ. सुमन गुप्ता	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, जनमोर्चा, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
श्री पराग कारान्दिकर	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, महाराष्ट्र टाइम्स, मराठी दैनिक, महाराष्ट्र
संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार {धारा 5 की उप-धारा (3) का खंड (क)}		
श्री अंशु चक्रवर्ती	प्रेस क्लब, कोलकाता	श्रमजीवी पत्रकार, आज काल, बंगला दैनिक, पश्चिम बंगाल
श्री जय शंकर गुप्ता	प्रेस एसोसिएशन	संवाददाता, देशबंधु, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री किंगशुक प्रमाणिक	प्रेस क्लब, कोलकाता, ओडिशा पत्रकार संघ, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस	श्रमजीवी पत्रकार, संगबाद प्रतिदिन, बंगला दैनिक, पश्चिम बंगाल

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
श्री प्रजनानंद चौधुरी	पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस	श्रमजीवी पत्रकार, आनंद बाजार पत्रिका, बंगला दैनिक कोलकाता
श्री विनोद कोहली	चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन	श्रमजीवी पत्रकार, उत्कल मेल, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री गुरबीर सिंह	मुंबई प्रेस क्लब, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस	श्रमजीवी पत्रकार, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, तमिलनाडू
श्री प्रसन्ना कुमार मोहंती	ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, इंडस वैली टाइम्स, अंग्रेजी पाक्षिक, ओडिशा
	बड़े, मध्यम और छोटे समाचार पत्रों के स्वामी और प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ख)}	
रिक्त*	-	-
रिक्त*	-	-
श्री गुरिंदर सिंह	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन और छोटे-मध्यम-बड़े समाचारपत्र सोसायटी	इंडियन ओबजर्वर, अंग्रेजी पाक्षिक, नई दिल्ली
श्री एल.सी. भारतीय	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन	आकाशदीप, हिंदी साप्ताहिक, जयपुर, राजस्थान
श्रीमती आरती त्रिपाठी	अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र संघ (एआईएसएनए) एवं भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ	जय प्रदेश, हिन्दी साप्ताहिक, उत्तर प्रदेश
श्री श्याम सिंह पंवार	भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ एवं अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र संघ (एआईएसएनए)	जन सामना, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश

*उक्त श्रेणी में एकमात्र अधिसूचित एसोसिएशन इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(4) के तहत नामों का पैनल दर्ज नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप उक्त श्रेणी के तहत दो रिक्तियां हो गईं।

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचार एजेंसी
समाचार एजेंसियों के प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ग)}		
श्री जी. सुधाकर नायर	प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई)	कार्यकारी संपादक, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) नई दिल्ली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद और साहित्य अकादमी से नामित व्यक्ति
{धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (घ)}

प्रो जे. एस. राजपूत	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
रिक्त**	भारतीय विधिज्ञ परिषद
श्री माधव कौशिक	साहित्य अकादमी

लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित सांसद
{धारा 5 की उपधारा (3) का खंड (ङ)}

रिक्त*	लोक सभा
रिक्त*	लोक सभा
रिक्त*	लोक सभा
श्री राकेश सिन्हा	राज्य सभा
श्री सुजीत कुमार	राज्य सभा

सचिव : डॉ. धीरज काकडिया***

* इस श्रेणी में अधिसूचना अभी प्राप्त होनी है।

** श्री शैलेंद्र दुबे, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6(4) के तहत दिनांक 29.05.2023 से परिषद के सदस्य नहीं रहे।

*** दिनांक 11.06.2024 के आदेश द्वारा नियुक्त।

विषय सूची

संपादक की कलम से 1

संक्षिप्त विवरण 3

1 पत्रकारिता जगत से 5

2 स्वच्छता पखवाड़ा रिपोर्ट – 2024 14

3 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रिपोर्ट - 2024 16

4 तिमाही के दौरान परिषद द्वारा जारी की गयी प्रेस विज्ञप्तियों का संग्रह 19

संपादक की कलम से

प्रिय पाठकों,

प्रेस परिषद समीक्षा के जुलाई 2024 का संस्करण इस वर्ष की दूसरी तिमाही में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा की गई सलाहकारी और अर्ध-न्यायिक पहलों पर गहन जानकारी प्रदान करता है। यह रिपोर्ट प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और पूरे भारत में पत्रकारिता में उच्च मानकों को बढ़ावा देने के लिए परिषद की चल रही प्रतिबद्धता पर मूल्यवान दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

अगले पृष्ठों में, आपको 1 अप्रैल से 30 जून, 2024 की अवधि के दौरान परिषद द्वारा की गई कार्रवाइयों का विवरण मिलेगा। यह प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार और समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के भीतर नैतिक मानकों के संरक्षण और उन्नति के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद ने कई घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। इनमें पत्रकार और उसके परिवार पर हमला, पत्रकारों पर हमला और गिरफ्तारी और मीडिया कर्मियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने की अन्य घटनाएं शामिल हैं।

भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष ने भी अश्लील और अशालीन विज्ञापन तथा ऑनलाइन सट्टेबाजी संबंधी सामग्री प्रकाशित करने के लिए कई समाचार पत्रों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया।

इसके अलावा, स्वच्छ भारत अभियान के सार को बनाए रखने के लिए परिषद ने अप्रैल 2024 से जून 2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया, जिसका उद्देश्य हमारे परिसर को व्यवस्थित और साफ करना था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून 2024 को प्रेस परिषद के सभी कर्मचारियों को परिषद योग सत्र में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया क्योंकि पीसीआई का मानना है कि योग जीवन का एक तरीका है जो हमारे कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को संबोधित करता है।

परिषद ने अपने 15वें कार्यकाल के लिए परिषद के पुनर्गठन के लिए विज्ञापन अधिसूचना के माध्यम से व्यक्तियों के संगठन से दावे आमंत्रित किए।

प्रशासनिक कारणों से ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम, 2024 को निलंबित कर दिया गया।

जैसा कि हम पिछली तिमाही की उपलब्धियों और चुनौतियों पर विचार करते हैं, हम उन सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हैं जो हमारा - प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने, नीतिगत मानकों को बनाए रखने और भारत में मीडिया उद्योग को आगे ले जाने में मार्गदर्शन करते हैं।

हमें उम्मीद है कि आपको "प्रेस परिषद समीक्षा" का यह अंक व्यवहारिक और सूचनाप्रद लगेगा।

भवदीय,
संपादक
प्रेस परिषद समीक्षा

संक्षिप्त विवरण

परिषद की कार्यप्रणाली

यह भारतीय प्रेस परिषद की त्रैमासिक पत्रिका "प्रेस परिषद समीक्षा" का जुलाई अंक है, जो 1 अप्रैल से 30 जून, 2024 तक की अवधि को कवर करता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद का उद्देश्य भारत में समाचारपत्र और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने के साथ प्रेस की स्वतंत्रता को संतुलित करना था। तिमाही के दौरान परिषद के पास कुल **282** शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से **48** शिकायतें प्रेस द्वारा असामाजिक तत्वों और प्राधिकारियों के खिलाफ प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए दर्ज की गईं और **234** मामले प्रेस के खिलाफ पत्रकारिता नीति के उल्लंघन के लिए दर्ज किए गए। परिषद ने प्रेस परिषद (जांच की प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियमन 13 के अनुरूप प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित **5** घटनाओं में स्वप्रेरणा से भी कार्रवाई की।

परिषद द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियाँ

समीक्षाधीन तिमाही के दौरान परिषद ने निम्नलिखित मामले शीर्षकों पर **सात (07)** प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी कीं:

क. सरकार या अन्य प्राधिकारियों द्वारा या पत्रकारिता नैतिकता या विभिन्न मुद्दों से संबंधित मामलों पर परिषद को अग्रेषित किए जा रहे मामले।

ख. परिषद ने अश्लील और अशिष्ट विज्ञापनों के प्रकाशन, पत्रकारों पर हमले, पत्रकारों की गिरफ्तारी, पत्रकारों पर हमला और ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के विज्ञापनों के प्रकाशन से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लिया।

कालक्रम के अनुसार सभी प्रेस विज्ञप्तियों को **अध्याय 4** के रूप में रखा जा रहा है।

परिषद का पुनर्गठन

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(4) के अंतर्गत 15वें कार्यकाल के लिए अधिसूचना के माध्यम से व्यक्तियों के संगठनों से दावे आमंत्रित करने के लिए परिषद द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

परिषद द्वारा की गई गतिविधियाँ

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद ने निम्नलिखित गतिविधियाँ कीं:

1. स्वच्छता पखवाड़ा

अप्रैल 2024 से जून, 2024 के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा के तहत भारतीय प्रेस परिषद कार्यालय के परिसर के अंदर सफाई अभियान चलाया गया।

पीसीआई ने अलग-अलग दिनों में भारतीय प्रेस परिषद की लॉबी, कॉन्फ्रेंस हॉल और विभिन्न अनुभागों में सफाई अभियान चलाया।

2. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2024

परिषद के सचिवालय में 21 जून, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सत्र के दौरान कर्मचारियों ने आसन करने में बहुत उत्साह दिखाया। ओम शांति रिट्रीट सेंटर के एक शिक्षक को योग के महत्व पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया तथा प्रशिक्षण सत्र कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया। इस उद्देश्य से परिषद के कर्मचारियों को योग लोगो टी-शर्ट तथा योग मैट प्रदान किए गए।

कर्मचारियों के लिए **"स्वयं एवं समाज के लिए योग"** विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख स्थानों पर बैनर लगाए गए।

प्रेस एवं पंजीकरण अपीलीय बोर्ड (पीआरएबी)

परिषद ने प्रेस एवं पत्रिकाओं के पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023 के अध्याय VI धारा 15(1) के अनुसार प्रेस एवं पंजीकरण अपीलीय बोर्ड का गठन किया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं –

1. न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई, माननीय अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद;
2. प्रो. जे.एस. राजपूत, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद
3. श्री गुरिंदर सिंह, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद

पत्रकारिता जगत से

फर्जी खबरों से निपटने, मीडिया की अखंडता बनाए रखने की आवश्यकताः अनुराग ठाकुर

मीडिया में फर्जी खबरों के प्रसारण पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को इस समस्या से सक्रिय तरीके से निपटने और मीडिया की अंखडता बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास करने की अपील की। ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ समय से रिपोर्टिंग में काफी सनसनीखेज बातें प्रस्तुत की जा रही हैं और कुछ समाचार सामग्री ने विवादों को जन्म दिया है। उन्होंने समाचारों की प्रस्तुति में निष्पक्षता के लिए प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि इन्फोडेमिक एक खतरा पैदा करेगा।

इंफोडेमिक किसी समस्या के बारे में अत्यधिक मात्रा में जानकारी देना है जो आम तौर पर अविश्वसनीय होती है, तेजी से फैलती है और समाधान प्राप्त करना अधिक कठिन बना देती है। ठाकुर ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मरुगन के साथ यहाँ तमिल जनम टीवी चैनल का उद्घाटन करने के बाद कहा, फर्जी या सही खबरों के सत्यापन में संपादकों की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका है। फर्जी खबरें भी चिंताजनक हैं। मीडिया की अखंडता बनाए रखने के लिए इस समस्या से सक्रिय रूप से निपटने की आवश्यकता है। जनम मल्टीमीडिया लिमिटेड के मालिकाना हक वाला जनम तमिल केरल में दक्षिणपंथी झुकाव रखने वाले जनम टीवी का विस्तार है। ठाकुर ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में मीडिया की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि उसकी लोगों को जवाबदेह बनाने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नियमों को आसान बनाया है और प्रिंटाइलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दो महीने के भीतर शीर्षक का सत्यापन करना और पंजीकरण उपलब्ध कराना आसान बना दिया है जबकि पहले इसमें दो साल से अधिक का वक्त लग जाता था।

विराट वैभव
दिल्ली
09/04/2024

खबर को सनसनीखेज न बनाए मीडिया

हाईकोर्ट ने करौली जिले के हिण्डौन थाने में न्यायिक अधिकारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर मीडिया में आई खबरों को गंभीरता से लिया, वही न्यायिक अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता से लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन न्यायपालिका की छवि बिगाड़ने वाली खबरों पर आँख नहीं मूंदी जा सकती। सुनवाई 27 मई तक टालते हुए याचिका लंबित रहने तक इस प्रकरण में मीडिया से सनसनीखेज तरीके से खबरें नही देने की अपेक्षा की है।

न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन ने राजस्थान न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन की ओर से

अध्यक्ष पवन कुमार गर्ग के जरिए दायर याचिका पर मंगलवार को यह अंतरिम आदेश दिया कि बलात्कार पीड़िता के बयान लेने के दौरान चोट दिखाने के लिए कहने के संबंध में मजिस्ट्रेट के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज एफआईआर को लेकर संबंधित न्यायिक अधिकारी ने एसोसिएशन को पत्र लिखा था, जिसमें आरोपों को बेबुनियाद व दुर्भावना से प्रेरित बताया। एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने एफआईआर को अवैधानिक बताते हुए कहा कि हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी बिना न्यायिक अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। इस मामले में एससी–एसटी का अपराध नहीं बनता, लेकिन हिण्डोंन के पुलिस उप अधीक्षक के प्रभाव में यह एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने मीडिया में इस मामले में प्रकाशित प्रसारित खबरों को न्यायपालिका की छवि खराब करने और उसे कलंकित करने का प्रयास बताते हुए ऐसी खबरों पर रोक लगाने का आग्रह किया। राजकीय अधिवक्ता घनश्याम सिंह राठौड़ ने इस मामले में एसोसिएशन के याचिका दायर करने पर सवाल उठाया। कोर्ट ने मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक व करौली पुलिस अधीक्षक के नोटिस राठौड़ को एवं केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नोटिस अतिरिक्त सालिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी को सौंपने का ओदश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि संविधान ने प्रेस को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया, लेकिन कुछ पाबंदी भी हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले पर जाँच चल रही है, ऐसे में मीडिया से सनसनीखेज तरीके से खबरें नहीं देने की अपेक्षा है।

राजस्थान पत्रिका
बिकानेर
10/04/2024

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों की सुनवाई का दायरा बढ़ाया

पतंजलि आयुर्वेद मामले में अपनी सुनवाई का दायरा बढ़ाते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एफएमसीजी कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों पर कड़ा रूख अपनाया और तीन केंद्रीय मंत्रालयों से जनता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले इस तरह के चलन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी। योगगुरु रामदेव और उनके सहयोगी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के बालकृष्ण ने न्यायमूर्ति हिमाकोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ को बताया कि उन्होंने भ्रामक विज्ञापनों पर 67 समाचार पत्रों में बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगी है और ये अपनी गलतियों के लिए बिना शर्त माफी मांगते हुए अतिरिक्त विज्ञापन भी जारी करना चाहते हैं। पीठ ने कहा कि अखबारों में प्रकाशित सार्वजनिक माफी रिकार्ड पर नहीं है और यह दो दिन के भीतर दाखिल की जाए, इसने मामले में अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख निर्धारित की। पंतजलि मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के कार्यान्वयन और संबधित नियमों की भी बारीकी से पड़ताल की जरूरत है। इसमें कहा कि यह मुद्दा केवल पतंजलि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दैनिक उपभोग के सामान बनाने

वाली (एफएमसीजी) सभी कंपनियों तक फैला हुआ है, जो भ्रामक विज्ञापन जारी कर रही है और जनता को धोखा दे रही है।

पंजाब केसरी
दिल्ली
24/04/2024

खबरों के माध्यम से सच को सींचती पत्रकारिता

पत्रकारिता स्वतंत्रता की मिसाल भी है और सच की भी इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता को किसी एक दिन या एक महीने या महीने या एक साल मनाकर नही रूका जा सकता। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। एक शाश्वत संघर्ष है। दरअसल पत्रकारिता बिना किसी सहारे के, एक ऐसे सत्र को हमेशा पल्लवित पोषित करने का साहस करती रहती है, जिस पर किसी बाहरी हवा या पानी का जरा सा भी एहसान न हो। पत्रकारिता को यह साहस विरासत में मिला है। सही है, सच की राह पर चलना और लंबे समय तक टिके रहना बड़ा कठिन होता है, लेकिन एक निष्पक्ष और निर्भीक अखबार के तौर पर दैनिक भास्कर ने अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखी। अपने पत्रकारिता धर्म को शिद्दत से निभाया और निश्चित रूप से यही शिद्दत आगे भी कायम रहेगी।

कहा जा सकता है कि तथ्यों पर आधारित पत्रकारिता और सच का साथ, ये दो ऐसे सूत्र वाक्य हैं, जिन्हें अपनाकर ही इस कठिन राह पर बेधड़क चला जा सकता है। सही को सही और गलत को गलत करने का साहस दैनिक भास्कर ने इसी विरासत से समेटा और संजोया। चाहे सरकार और समाज की कुरीतियों को उजागर करना हो, चाहे उनके अच्छे कर्मों को करोड़ो पाठकों तक सकारात्मक रूप में पहुंचाना हो, दैनिक भास्कर पत्रकारिता के इस पुण्य कर्म को हमेशा पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ करता आया है। निश्चित रूप से इस राह में कठिनाइयाँ भी आई, लेकिन भास्कर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

भास्कर परिवार अपने चेयरमैन स्व. रमेशचंद्र अग्रवाल के इस ध्येय वाक्य को कभी नहीं बिसराएगा, जिसमें वे कहा करते थे कि पाठक ही हमारी पत्रकारिता का केंद्र है और सिर्फ पाठक ही हमारा मलिक है।

दैनिक भास्कर और उसकी पूरी जर्नलिस्ट टीम आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर अपने करोड़ों पाठकों के सामने पुनः यह संकल्प लेती है कि वह सच को हर हाल में अपनी पत्रकारिता के माध्यम से जीवित रखेगी। पल्लवित करती रहेगी।

भास्कर की पत्रकारिता पर वर्षों भरोसा करने और करते रहने के लिए एक बार फिर पाठकों का धन्यवाद। नमन।

दैनिक भास्कर
दिल्ली
03/05/2024

डिजिटल मीडिया के टूल्स सीखना समय की जरूरतः डॉ. अमित सांगवान

डिजिटल मीडिया के टूल्स सीखना समय की जरूरत है मीडिया विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना होगा। विशेष रूप से कंटेंट क्रिएशन में टेक्नोलॉजिकल टूल्स के महत्त्व को रेखांकित करते हुए मीडिया विशेषज्ञ चौ. देवी लाल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के अध्यक्ष डॉ. अमित सांगवान ने ये परामर्श महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (मदवि) के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों को आज दिया। मदवि के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में आज आयोजित संवाद कार्यक्रम में डॉ. अमित सांगवान तथा प्रतिष्ठित पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ परवीन के मोदी ने संबोधित किया। डॉ. अमित सांगवान ने कहा कि आज के दौर में 'कंटेंट इज किंग। विद्यार्थियों को क्रिएटिव कटेंट तैयार करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। डॉ. सांगवान ने विद्यार्थियों से सोशल मीडिया एडिक्शन से बचने की नसीहत दी।

मीडिया विशेषज्ञ परवीन के मोदी ने कहा कि प्रिंट मीडिया का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। डिजिटल मीडिया के दौर में प्रिंट मीडिया के समक्ष नई चुनौतियां सामने आई हैं परंतु प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता तथा सत्यता व तथ्यपरकता अधिक है। मदवि पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के अध्यक्ष प्रो. हरीश कुमार ने कहा कि मोबाइल फोन ने पत्रकारिता की दुनिया को बदल दिया है। विद्यार्थियों को प्रिंट के साथ–साथ डिजिटल मीडिया, कनवर्जेंट मीडिया की दुनिया से कदमताल करना होगा। कार्यक्रम समन्वयन–संचालन सहायक प्रोफेसर सुनित मुखर्जी ने किया।

दैनिक ट्रिब्युन
दिल्ली
05/05/2024

खबरों के माध्यम से सच को सींचती पत्रकारिता

पत्रकारिता स्वतंत्रता की मिसाल भी है और सच की भी इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता को किसी एक दिन या एक महीने पर बैर उसकी पूरी जर्नलिस्ट टीम आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर अपने करोड़ों पाठकों के सामने पुनः यह संकल्प लेती है। कि वह सच को हर हाल में अपनी पत्रकारिता के माध्यम से जीवित रखेगी। पल्लवित करती रहेगी।

भास्कर की पत्रकारिता पर वर्षों भरोसा करने और करते रहने के लिए एक बार फिर पाठकों का धन्यवाद ।

दैनिक भास्कर
दिल्ली
03/05/2024

भ्रामक विज्ञापन के लिए सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर भी समान रूप से जिम्मेदार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी उपभोक्ता उत्पाद का समर्थन करते समय सेलिब्रिटी और सार्वजनिक हस्तियों के लिए जिम्मेदारी से काम करना अनिवार्य है। सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर किसी भ्रामक उत्पाद या सेवा का समर्थन करते हैं तो वे भी भ्रामक विज्ञापनों के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। शीर्ष अदालत पतंजलि आयुर्वेद लि. के. भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने निर्देश दिया कि किसी भी विज्ञापन को जारी करने की अनुमति देने से पहले केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 के अनुरूप विज्ञापनदाताओं से एक स्वघोषणा प्राप्त की जानी चाहिए। यह नियम एक विज्ञापन कोड निर्धारित करता है जो कहता है कि किए जाने वाले विज्ञापनों को देश के कानूनों के अनुरूप डिजाइन किया जाना चाहिए। पीठ ने संबंधित केंन्द्रीय मंत्रालयों को भ्रामक विज्ञापनों और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की ओर से उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई से अवगत कराने का भी निर्देश दिया है।

अथॉरिटी से पूछा—लाइसेंस निलंबित होने के बाद भी विज्ञापन क्यों मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही पतंजलि के कुछ उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हों। लेकिन इसके भ्रामक विज्ञापन अभी भी इंटरनेट, वेबसाइटों और विभिन्न चैनलों पर उपलब्ध हैं। कोर्ट ने अथॉरिटी से पूछा कि आप इसे हटाने के लिए क्या कर रहे हैं ? वहीं, पतंजलि की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील बलबीर सिंह ने कहा, हम सचेत हैं और अगली तारीख तक हम पूरी योजना के साथ आएंगे।

अमर उजाला
चंडीगढ़
08/05/2024

पेड न्यूज, विज्ञापनों पर कड़ी नजर रखने का दिया निर्देश

जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने एसडीओ कार्यालय धालभूस व आइटीडीए कार्यालय में बनाये गये पोस्टल बैलेट मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने मतदान केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं को देखा, अधिकारी व कर्मचारियों से जानकारी ली।

साथ ही मतदान केंद्र पर भीड़ को देखते हुए निर्देशित किया कि महिला पुरुष को अलग–अलग लाइन में खड़ा करने व हेल्प डेस्क के माध्यम से मतदाताओं को गाइड किया, विदित हो कि चुनाव व आवश्यक डयूटी में लगाये गये अधिकारी व कर्मी, जिनके संसदीय क्षेत्र में चौथे

चरण में लोकसभा चुनाव होना है, वे अपने मताधिकार का प्रयोग पोस्टल बैलेट से कर रहे हैं, इसके पश्चात जिले के वरीय पदाधिकारियों ने उ्द्योग केंद्र स्थित पोस्टल बैलेट स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण कर मतदान पश्चात पोस्टल बैलेट के रखरखाव का जायजा लिया, इस अवसर पर डीडीसी मनीष कुमार भी मौजूद थे, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मीडिया एवं एमसीएमसी कोषांग तथा सामग्री कोषांग का औचक निरीक्षण कर, किए जा रहे कार्यो की जानकारी ली। प्रतिनियुक्त कर्मियों को सोशल मीडिया, पेड न्यूज और राजनीतिक विज्ञापनों पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा। चुनाव प्रचार विज्ञापन, पेड न्यूज, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर गतिविधियों से संबंधित विभिन्न स्वीकृतियों के अलावा लोकसभा चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों को जारी किये गये पूर्व प्रमाण पत्रों के बारे में जानकारी ली, उन्होंने कहा कि पार्टियों और उम्मीदवारों को अपने कंटेंट के लिए कोषांग से मंजूरी लेना जरूरी है।

प्रभात खबर
जमशेदपुर
10/05/2024

पत्रकारिता एक स्वाभिमानी पेशा इस कार्य में चुनौतियां अधिक–रिजवी

प्रेस परिषद तथा राज्य मान्यता समिति के सदस्य रहे राज्य मुख्यालय के वरिष्ठ पत्रकार सैय्यद रजा हुसैन रिजवी ने कहा कि स्वस्थ पत्रकारिता के लिए भय और पक्षपात का त्याग करना होगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता एक स्वाभिमानी पेशा है इसे डर कर या किसी गलत व्यक्ति का समर्थन करके ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस काय में चुनौतियां अधिक हैं इसलिए पत्रकारिता जैसे पेशे को अपनाने के लिए आंतरिक मजबूती भी काफी जरूरी है। श्री रिजवी हिंदी पत्रकारिता दिवस पर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार एशोसिएशन एवं कलाम फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि के रूप संबोधित कर रहे थे। समारोह को संबोधित करते हुए टैक्स वार ऐशो पूर्व अध्यक्ष जमील फारुकी ने पत्रकारिता की चुनौती का उल्लेख किया। वरिष्ठ पत्रकार भागवत शुक्ला ने पत्रकारिता के बदलते आयाम पर चर्चा की। पत्रकार अजय त्रिपाठी ने पारस नाथ मिश्र, भ्रमर पंडित, राधे मोहन मिश्रा, वैद्य, डॉ रामअचल सिंह, सरदार जगजीत सिंह, राहत अली, लालाजी प्रसाद वर्मा, अलीमुल हक, एजाज वारसी, भानु प्रताप सिंह, तथा जलील इश्तियाक सिद्दीकी के समय की पत्रकारिता का मौजूदा समय की पत्रकारिता से तुलनात्मक अध्ययन किया। नेपालगंज के पत्रकार रियाज अली ने कहा कि नेपाल में बंदूकों के साए में तथा राजशाही सत्ता के सामने पत्रकारिता की जाती है, जो भारत की पत्रकारिता के मुकाबले काफी चुनौतीपूर्ण है। जबकि पत्रकार ध्रुव शर्मा ने गीत सुनाया, कार्यक्रम के पत्रकार रामेश्वर पवन तथा वरिष्ठ पत्रकार काल्बे अब्बास समेत अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया, जबकि संचालन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पूर्व अध्यक्ष सरदार सरजीत सिंह ने किया। कार्यक्रम के आयोजन में कलाम फाउंडेशन संस्थापक अमर सिंह विसन, दिव्या पोरवाल,

मान्यता प्राप्त पत्रकार एशोसिएशन के मण्डलाध्यक्ष शादाब हुसैन, जिलाध्यक्ष आनंद प्रकाश गुप्ता, अकरम सईद, एस. पी. मिश्र, बलजीत सिंह एडवोकेट हाईकोर्ट, आकाश जयसवाल, के. के. सक्सेना, अद्वैतशैल वरांश, हिमांशु रस्तोगी, हिमांशु रस्तोगी, डी.पी. श्रीवास्तव, रामगोपाल गुप्ता, सचिन श्रीवास्तव, रमेश गुप्ता आदि का विशेष योगदान रहा।

जनसंदेश टाइम्स
लखनऊ
01/06/2024

विज्ञापनदाताओं को 18 से देना होगा सेल्फ डेक्लेरेशन

सरकार ने सोमवार को सभी विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों से स्व–घोषणा प्रमाणपत्र जमा करने को कहा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विज्ञापन में भ्रामक दावे नहीं किए गए हैं और यह नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन करता है। उच्चतम न्यायालय की तरफ से पिछले महीने जारी निर्देशों के मुताबिक सभी नए प्रिंट, डिजिटल, टेलिविजन ओर रेडियो विज्ञापनों के लिए स्व–घोषणा देना जरूरी होगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बयान में कहा कि उच्चतम न्यायालय का निर्देश पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण और जिम्मेदार विज्ञापन व्यवहार को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। टीवी और रेडियो विज्ञापनों के मामले में स्व–घोषणा प्रमाणपत्र को 'ब्रॉडकास्ट सेवा' पोर्टल पर और प्रिंट डिजिटल और इंटरनेट विज्ञापनों के लिए भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की वेबसाइट पर डालना होगा। इस स्व–घोषणा प्रमाणपत्र पर विज्ञापनदाता या विज्ञापन एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। सभी विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों को 18 जून, 2024 या उसके बाद जारी प्रसारित प्रकाशित होने वाले सभी नए विज्ञापनों के लिए यह प्रमाणपत्र हासिल करना जरूरी है। सभी हितधारकों को स्व–प्रमाणन की प्रक्रिया से परिचित होने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए दो सप्ताह की बफर अवधि रखी गई है। हालांकि, अभी प्रसारित या प्रकाशित हो रहे विज्ञापनों को स्व–प्रमाणन की जरूरत नहीं होगी। दस्तावेज को प्रमाणित करना चाहिए कि विज्ञापन में भ्रामक दावे नहीं किए गए हैं और यह सभी प्रासंगिक नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। इसमें केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम सात और भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानदंड शामिल हैं। विज्ञापनदाता को संबंधित प्रसारक, मुद्रक, प्रकाशक या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मंच को उनके रिकॉर्ड के लिए स्व–घोषणा प्रमाणपत्र अपलोड करने का प्रमाण देना होगा।

राष्ट्रीय सहारा
दिल्ली
04/06/2024

मीडिया का लोकतंत्र में खासा महत्त्व

विंध्य प्रेस क्लब के तत्वाधान में हिंदी पत्रकारिता दिवस का आयोजन सिटी क्लब के सभागार में धूम धाम से मनाया गया। आयोजित विचार गोष्ठी में भारतीय लोकतंत्र में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के योगदान पर पत्रकारों ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर डॉक्टर, शिक्षक, पुलिस कर्मी, पत्रकारों आदि को सम्मानित किया गया। हिंदी पत्रकारिता दिवस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कन्नौजिया व जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन व मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार उपस्थित रहे। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कन्नोजिया ने कहा कि प्रिंट मीडिया सूचनाओं, जानकारियों तथ्यों आदि को समाचार, आलेख, कहानी, रिपोर्ट, केस स्टडी को मुद्रित करने की विधा को प्रिंट मीडिया कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर समाचार पत्र, जनता तक सूचनाओं को भेज सकें, वह सब प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दृश्य श्रव्य माध्यम भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सूचनाओं को भेजने के लिए ध्वनि, कैमरा, प्रकाश, संगीत आदि का सहयोग लेता है। प्रिंट मीडिया से अधिक व्यापक तरीके से सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए रेडियो, टेलीविजन, फिल्म वीडियो, न्यूजरील, कंम्प्यूटर आदि किसी भी घटना या विचारों की पूरी व्यापक जानकारी व सूचना प्रभावकारी ढंग से प्रेषित करता है। समाचार व संदेशों को तीव्रग्रामी गति से पहुंचाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्त्व है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार समाज का आइना होता है, हिंदी पत्रकारिता के दौर में पत्रकारों के सामने बहुत चुनौतियाँ हैं। ग्रामीण पत्रकारों को सही पारिश्रमिक नहीं मिलने से उनके सामने कठिनाई की स्थिति उपन्न होती है। आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हो गये हैं, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, वेब पत्रकारिताएं, यूट्यूब आदि। बदलते वक्त के साथ बाजारवाद और पत्रकारिता के अर्न्तसम्बन्धों ने पत्रकारिता की विषय वस्तु तथा प्रस्तुति की शैली में व्यापक परिवर्तन किए हैं।

पायोनिर
लखनऊ
11/06/2024

असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पत्रकारों के लाइसेंस रद्द करें: हाईकोर्ट

हरदोई के एक कथित पत्रकार को आपराधिक मुकदमें में कोई भी राहत देने से हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इंकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पत्रकारों के लाइसेंस रद्द किए जाएं। पीठ का कहना है कि सरकार के पास ऐसी मशीनरी है, जो इन गतिविधियों पर रोक लगा सकती है। इसके पूर्व राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पूरे प्रदेश में एक गिरोह सक्रिय है, जो आम लोगों को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने जैसी असामाजिक गतिविधियों में शामिल हैं। जस्टिस शमी अहमद की एकल पीठ ने यह आदेश हरदोई में एक

अखबार के पत्रकार पुनीत मिश्रा व अखबार के डिस्ट्रीब्यूटर प्रदीश वैश की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याचिका में दोनों ने वसूली, एससी–सटी एक्ट व अन्य धाराओं में दाखिल आरोप पत्र व तलबी आदेश को चुनौती दी थी। कहा गया था कि याचिकाकर्ता संख्या एक बतौर पत्रकार हरे पेड़ों की कटान के खिलाफ खबरें लिखा करता है। इसी वजह से उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसके खिलाफ आरोप है कि जब शिकायतकर्ता लकड़ी बेंचने एक धर्म कांटे पर गया था, तो अभियुक्तगण वहां आ गए और उससे वसूली मांगी तथा जाति–सूचक गालियां दी। इस कथित घटना की एफआईआर 15 दिनों बाद लिखाई गई। देर से एफआईआर दर्ज कराने का कोई कारण भी नहीं बताया गया। हालांकि पीठ ने पाया कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के विरुद्व संज्ञेय अपराध बन रहा है। लिहाजा आरोप पत्र व तलबी आदेश खारिज नहीं किया जा सकता।

पायोनिर
लखनऊ
14/06/2024

मुजफ्फरपुर में पत्रकार की हत्या

अज्ञात बदमाशों ने एक पत्रकार की हत्या कर दी है। घटना मंगलवार रात की है। घर से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने पत्रकार पर चाकू से दर्जनों वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान पत्रकार शिवशंकर झा के रूप में की गई है। अस्पताल में शिवशंकर झा की मौत की पुष्टि के बाद पुलिस ने घर वालों को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही घर वाले अस्पताल पहुंचे। हालांकि अभी तक यह नही पता चला है कि शिवशंकर झा की हत्या के पीछे की क्या वहज है।

घर लौट रहे थे पत्रकार शिवशंकर झा मनियारी थाना क्षेत्र के ही रहने वाले थे। वह अपने घर मारीपुर स्थित आवास की ओर लौट रहे थे। अचानक अज्ञात बदमाशों ने उनकी बाइक को घेर लिया और उन पर चाकुओं से दजनों वार कर दिए।

हमारा महानगर
मुम्बई
27/06/2024

भारतीय प्रेस परिषद

स्वच्छता ही सेवा रिपोर्ट, अप्रैल -जून 2024 रिपोर्ट

अप्रैल से जून, 2024 के बीच, स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन के दौरान, भारतीय प्रेस परिषद को आबंटित परिसर के भीतर सफाई अभियान चलाया गया

अप्रैल, 2024 से जून, 2024 की अवधि के दौरान भारतीय प्रेस परिषद के विभिन्न अनुभागों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान की कुछ तस्वीरें (पहले और बाद में) इस प्रकार हैं:

पहले	बाद में
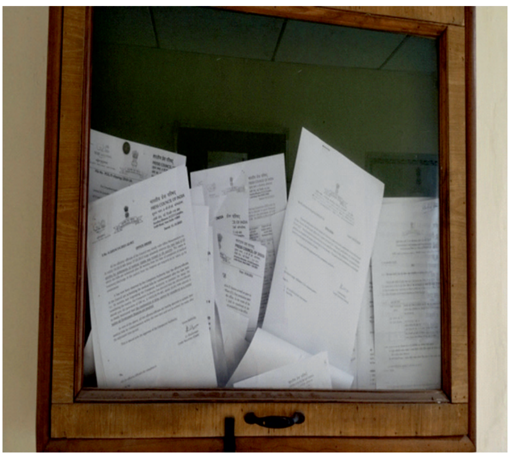	

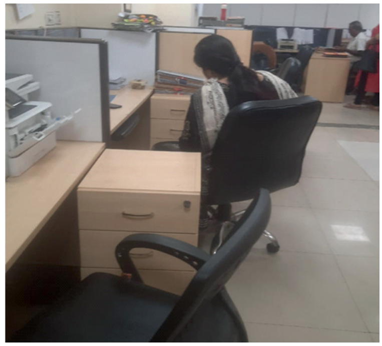

परिषद के अनुभागों ने परिषद के अनुभागों के सौन्दर्यीकरण और रखरखाव के लिए गतिविधियां निष्पादित कीं।

अनुभागों में फाइलों और अलमारियों को कर्मचारियों द्वारा उचित ढंग से व्यवस्थित किया गया तथा अनुभागों के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ गलियारों के रखरखाव का कार्य भी कर्मचारियों द्वारा किया गया। परिषद के अवर सचिव (प्रशासन) और एस.ओ. (प्रशासन) ने स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान की गई गतिविधियों के संबंध में सभी अनुभागों में औचक निरीक्षण किया।

भारतीय प्रेस परिषद
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2024

परिषद के सचिवालय में 21 जून 2024 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सत्र के दौरान आसनों के प्रदर्शन में कर्मचारियों ने काफी उत्साह दिखाया। भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख स्थानों पर बैनर लगाए गए।

21 जून, 2024 को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए:

(क) <u>प्रशिक्षण सत्र</u>

भारतीय प्रेस परिषद के संगोष्ठी कक्ष में सुबह 11 बजे एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। ओम शांति रिट्रीट सेंटर के एक शिक्षक को योग के महत्व पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसका विषय था *"स्वयं और समाज के लिए योग/योग-स्वयं और समाज के लिए"*। इसके बाद, शिक्षकों की देखरेख में कर्मचारियों ने योग किया। प्रतिभागियों को योग लोगो टी-शर्ट और योग मैट प्रदान किए गए।

सत्र के दौरान ली गई तस्वीरें यहाँ नीचे दी गई हैं:

(ख) निबंध लेखन प्रतियोगिता:

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में परिषद के कर्मचारियों ने भाग लिया। तीन विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

भारतीय प्रेस परिषद्
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली—110 003
Soochna Bhawan, 8 CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर संख्या : 11/2024-पी सी आई

दिनांक 09.04.2024

असम के स्थानीय समाचार चैनल के ब्यूरो प्रमुख श्री अभिजीत दास पर कथित हमले की घटना के संबंध में स्वतः संज्ञान लिया गया।

माननीय अध्यक्ष, प्रेस परिषद, भारतीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने 31.03.2024 को कामरूप जिले, बैहाटा चरियाली, असम में एक स्थानीय समाचार चैनल के ब्यूरो प्रमुख श्री अभिजीत दास पर कथित हमले की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए, राज्य सरकार से मामले के तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट मांगी गई है।

*****

भारतीय प्रेस परिषद्
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
Soochna Bhawan, 8 CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर संख्या :13/2024-पी सी आई **दिनांक 16.05.2024**

ओडिशा में दो पत्रकारों पर हमले के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया।

भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने ओडिशा के कंधमाल जिले में दो पत्रकारों पर हमले की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। जब वे अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। मामले के तथ्यों के आधार पर ओडिशा सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है।

*****

भारतीय प्रेस परिषद्
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
Soochna Bhawan, 8 CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर संख्या :15/2024 -पी सी आई दिनांक 17.05.2024

भारतीय प्रेस परिषद ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में श्री आशुतोष श्रीवास्तव, पत्रकार की कथित रूप से गोली मारकर की गई हत्या पर लिया स्वत: संज्ञान

श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई, माननीय अध्यक्ष महोदया, भारतीय प्रेस परिषद ने श्री आशुतोष श्रीवास्तव, पत्रकार, सुदर्शन न्यूज़ की कथित रूप से गोली मारकर की गई हत्या पर चिंता जताई है तथा मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को तथ्यों के आधार पर यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है।

*****

भारतीय प्रेस परिषद्
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
Soochna Bhawan, 8 CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर संख्या :16/2024-पी सी आई **दिनांक 24.05.2024**

भारतीय प्रेस परिषद ने राजस्थान के जैसेलमेर जिले में पत्रकार पर हुए कथित हमले पर लिया स्वत: संज्ञान

श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई, माननीय अध्यक्ष महोदया, भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकार श्री हीराराम मेघवाल पर कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट प्रकाशित करने हेतु हुए हमले एवं उनके साथ हुई बदसलूकी और आरोपियों द्वारा कहे गए जातिसूचक अपशब्दों पर चिंता व्यक्त की है तथा मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए राजस्थान सरकार को तथ्यों के आधार पर यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया है।

*****

भारतीय प्रेस परिषद्
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
Soochna Bhawan, 8 CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर संख्या :17/2024-पी सी आई **दिनांक : 28.05.2024**

नई दिल्ली में पत्रकार और न्यूज़ चैनल के कैमरामैन पर कथित हमले की घटना के संबंध में स्वतः संज्ञान।

भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने 20.05.2024 को नई दिल्ली में पत्रकार सुश्री आकांक्षा खजूरिया और न्यूज़ चैनल के कैमरामैन पर कथित हमले की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए, दिल्ली सरकार से मामले के तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट मांगी गई है।

*****